प्रबन्ध निदेशक शिविर
में प्राप्ति की तिथि 26/4/18

संख्या-6/2018/256/78-2-2018-42आई.टी./2017टीसी

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली

महोदय,

AU GM/CGM
27/4

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पद्र्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या 1067/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनॉक 12 मई 2017 द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है तथा दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त इसे बाध्यकारी कर दिया गया है। ई-टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपितु प्रचलित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक मीडिया उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जाती है।

2- वित (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- ए-1-864/ दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रु 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करके क्रय किये जाते हैं और उक्त वित्तीय सीमा से अधिक की सभी निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा आमंत्रित की जाती हैं।

MD-385
26/4/18

3- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए उपरोक्त वित्तीय सीमा रु 1,00,000/- को बढ़ाकर रु 10,00,000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है। रु 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अन्तर्गत, पूर्व की भांति यथावत् रहेगी तथापि रु 10.00 लाख तक की निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

मु.प्र.नि.(नि.प्रौ.)
उ.प्र.(वाणिज्य)

4- अतएव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनांक 12 मई 2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

प्र.नि.
26-4-18

भवदीय,

PM(C)

प्राप्ति दि० 27/4/18
डायरी सं०..................
म०प्र० (वाणिज्य)

Ms Madulika ji (C.P.)
Pl. upload this
C.O.
10/05/18
Project Manager (commercial)

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।